



दिनांक 21.09.2021

प्रेस विज्ञप्ति 21/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आगरा/थाना जगदीशपुरा

- डकैती की घटना का अनावरण
- 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 04 लाख 52 हजार रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस
- 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 20/21.09.2021 को थाना जगदीशपुरा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से 05 शातिर अभियुक्तों 1-मुशर्रफ खां 2-रमजान 3-सागर 4-आहद 5-राशिद को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 लाख 52 हजार रुपये नगद, 01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 18.09.2021 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0-587/2021 धारा 395/323/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त डकैती की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1–मुशर्रफ खॉ निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
- 2–रमजान निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
- 3–सागर निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
- 4–आहद निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
- 5–राशिद निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार जनपद आगरा।

बरामदगी

- 1–लूट गये 04 लाख 52 हजार रूपये नगद।
- 2–01 चार पहिया वाहन।
- 3–, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि।

जनपद औरैया / थाना बिधूना

- 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 05 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने / चाँदी के आभूषण
- 69 हजार 800 रूपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 कार
 - 01 इन्वर्टर
 - 01 एलईडी
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 20 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 20 / 21.09.2021 को थाना बिधूना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्यादीन डिग्री कालेज के पास से 07 शातिर अभियुक्तों 1–सुखदेव 2–अभिषेक उर्फ सोनू 3–हाकिम 4–ब्रजेश कुमार 5–नेतराम 6–मुकेश कुमार 7–रमेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने/चौंदी के आभूषण, 69 हजार 800 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर,20 जीवित कारतूस, 01 इन्वर्टर, 01 एलईडी, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बिधूना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुखदेव निवासी नगला मारवाडी थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया।
- 2—अभिषेक उर्फ सोनू निवासी कुकरकाट थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया।
- 3—हाकिम निवासी धनुपुरा थाना कादरचौक, जनपद बदायूं।
- 4—ब्रजेश कुमार निवासी आर्दशनगर कस्बा व थाना बिधूना जनपद औरैया।
- 5—नेतराम निवासी धनुपुरा थाना कादरचौक, जनपद बदायूं।
- 6—मुकेश कुमार निवासी आर्दशनगर कस्बा व थाना बिधूना जनपद औरैया।
- 7—रमेश निवासी धनुपुरा थाना कादरचौक, जनपद बदायूं।

बरामदगी

- 1—लगभग 05 लाख 25 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने/चौंदी के आभूषण।
- 2— 69 हजार 800 रूपये नगद।
- 3—01 कार।
- 4— 02 अवैध तमंचा 315 बोर,20 जीवित कारतूस।
- 5— 01 इन्वर्टर, 01 एलईडी।
- 6— चोरी करने के उपकरण आदि।

जनपद हापुड/थाना बाबूगढ़

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 01 लाख 20 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने/चाँदी के आभूषण
 - चोरी के 2200 रुपये नगद, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर
 - 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 20.09.2021 को थाना बाबूगढ़ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुबारकपुर गेट के सामने से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—इरफान सहित 2—अनीस 2—शकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 20 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने/चाँदी के आभूषण, चोरी के 2200 रुपये नगद, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरफान के विरुद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद, हापुड के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि 19 अभियोग, अभियुक्त अनीस के विरुद्ध जनपद हापुड, अमरोहा, के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट के 08 अभियोग व अभियुक्त शकील के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान थाना बाबूगढ़ से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान निवासी श्यामनगर रोड, उज्ज्वल गार्डन तीन गेट वाली कालोनी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

2—अनीस निवासी श्यामनगर सेड कालोनी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

3—शकील निवासी श्यामनगर रोड समर गार्डन कालोनी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख 20 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने/चौंदी के आभूषण।

2— चोरी के 2200 रुपये नगद, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर।

3— 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस।

4— घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेज पार्क

- पुलिस कार्यवाही में 09 अभियुक्त गिरफ्तार
- भारी मात्रा में रेलवे कॉरिडोर से चोरी का लोहा
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस
 - लोहा काटने के उपकरण
 - 01 वाहन आदि बरामद

दिनांक 20.09.2021 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिंडन पुस्ते के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेरा बन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अनुज 2—फिरोज घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—सुधीर 4—आकाश 5—माधव 6—नरेन्द्र 7—सतेन्द्र 8—उमेश 9—दूरबीन सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य तीन बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में रेलवे कॉरिडोर से

चोरी का लोहा, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस, लोहा काटने के उपकरण, 01 वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो फ़ैक्टरियों/निर्माणधीन रेलवे कॉरिडोर से रैकी कर रात में लोहा चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अनुज निवासी बाउपुरी थाना पटियाली जनपद कासगंज, हालपता हबीबपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
- 2—फ़िरोज निवासी नाई का तालाब कठैरा रोड कस्बा व थाना दादरी।
- 3—सुधीर निवासी खजुआ थाना पटियाली जनपद कासगंज।
- 4—आकाश निवासी खदरी थाना पचदेवरा जनपद हरदोई।
- 5—माधव निवासी बिचौला थाना सिद्धपुरा जनपद कासगंज।
- 6—नरेन्द्र निवासी पट्टी एहरान थाना खेखडा जनपद बागपत।
- 7—सतेन्द्र निवासी उनरपुर थाना मीरापुर जनपद फर्रुखाबाद।
- 8—उमेश निवासी कैलठा थाना अलीगंज जनपद एटा।
- 9—दूरबीन निवासी सुजातपुर थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद।

बरामदगी

- 1—भारी मात्रा में रेलवे कॉरिडोर से चोरी का लोहा।
- 2—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस।
- 3—लोहा काटने के उपकरण।
- 4—01 वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सेहरामऊ दक्षिणी

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 21.09.2021 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हमजापुर चौराहा निगोही के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सलमान निवासी ककराह थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.09.2021 को थाना अमरोहा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर चौराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शनि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-263/2021 धारा 147/294/323/324/336/504/341 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शनि निवासी ग्राम उक्सी रायपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

• 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.09.2021 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामधनी उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ आशीष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना विभूतिखण्ड पर पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रामधनी उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ आशीष निवासी मूलपता-नोनिया छापरा थाना भटनी जनपद देवरिया, हालपता-वरसीपार सलेमपुर, देवरिया।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 115 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक 21.09.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पोता से अभियुक्त मणिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 115 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मणिक निवासी ग्राम बनहरा, धुमरी थाना जैथरा हाल निवासी नगला पोता थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

बरामदगी

1—लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 115 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

➤ जनपद जौनपुर/थाना मडियाहूँ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के कारावास की सजा व 05—05 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) जनपद जौनपुर द्वारा थाना मडियाहूँ पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त 1—लालबहादुर पाल 2—श्यामजीत प्रसाद 3—लालबहादुर सरोज को 10—10 वर्ष के कारावास की सजा व 05—05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।